Contact Details of District Judgeship Level Committee for Revision of various allowances pertaining to service/retired Judicial Officers as recommended by Second Judicial Pay Commission in compliance of letter no. 1220/IV-F-82/Allahabad dated: 27.01.2024

S No.	Name of Officers	Mobile No.	Email Id.
1.	Smt. Aparna Pandey,	9412783802	aparnapand@gmail.com
	Addl. District Judge, Court No. 11,		
	Meerut Nodal officer		
2.	Sri Dhirendra Singh,	9412783807	salmond008@gmail.com
	Addl. District Judge, Court No. 14,		
	Meerut.		
3.	Sri Anurag Singh,	9412783859	anurag.s.alig@gmail.com
	Civil Judge (Sr. Div.)/F.T.C.		
	Meerut.		0: John

Prepared by:

101120 (Rajmangal Singh Yadav)

Nodal Officer (Computers), District Court, Meerut.

कार्यालय जिला न्यायाधीश,मेरठ। आदेश संख्याः ५८ दिनॉकः 29.01.2024 आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या—1220/चतुर्थ—एफ—82/इलाहाबाद दिनॉकित 27.01.2024 के माध्यम से द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पैटीशन (सिविल) संख्या—643/2015 आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनॉकित 04.01.2024 के अनुपालन में कार्यरत एवं सेवारत् न्यायिक अधिकारीयों के वेतन भत्तों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जिला जजशिप स्तर पर कार्यरत/सेवारत् न्यायिक अधिकारीगण के भत्तों ,बकाया, सेवानिवृत्ति लाभ के वितरण एवं इस सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारीयों की समस्याओं के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः माननीय न्यायालयों द्वारा निर्गत किये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी, लेखा विभाग, जनपद न्यायालय, मेरठ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री धीरेन्द्र सिंहॅ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–14, मेरठ तथ्या श्री अनुराग सिंहॅ, सिविल जज (सीठडि०)/त्वरित न्यायालय, मेरठ को नोडल अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है। उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे जिला जजशिप स्तर पर कार्यरत/सेवारत् न्यायिक अधिकारीगण तथा न्यायिक अधिकारीगण के फैमिली पेशनरों के भत्तों ,बकाया, सेवानिवृत्ति लाभ के वितरण एवं इस सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारीयों की समस्याओं का निवारण करेगे। माननीय सर्वोच्च द्वारा पारित आदेश दिनॉक 04.01.2024 के अनुपालन में नोडल अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है वह जिला जजशिप के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों एवं पारिवारिक पेशनरों का विवरण तैयार करेगें तथा उक्त विवरण कम से कम तीन माह के अन्दर अपडेट करते रहेगें तथा उसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करेगे।

नोडल अधिकारी ,कम्पयूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र के बिन्दू संख्या–04 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

सभी सम्बन्धित को अवगत कराया जाये। आदेश की एक प्रति सभी न्यायिक

अधिकारीगण के मध्य परिचालित की जाये।

सित्य _{२२}००१७ (रजत सिंहॅ जैन) जिला न्यायाधीश, मेरठ।